**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-55/2018-19**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक - द्वितीय, हल्द्वानी, (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय उप निबन्धक - द्वितीय, हल्द्वानी, (नैनीताल)** के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.08.2018 से 13.08.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.06.2017 से 27.06.2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - तहसील हल्द्वानी, कालाडूंगी, एवं लाल कुआँ के समस्त राजस्व क्षेत्र।
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

| वर्ष | अर्जित राजस्व (रू लाख में) |
|---|---|
| 2015-16 | 2398.96 |
| 2016-17 | 2168.06 |
| 2017-18 | 2451.19 |

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+)` | बचत (-)` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना ` | गैर स्थापना ` | आवंटन ` | व्यय ` | आवंटन ` | व्यय ` | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

**(iii)इकाई को बजट आवंटन** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -'A'--श्रेणी की है।

**(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

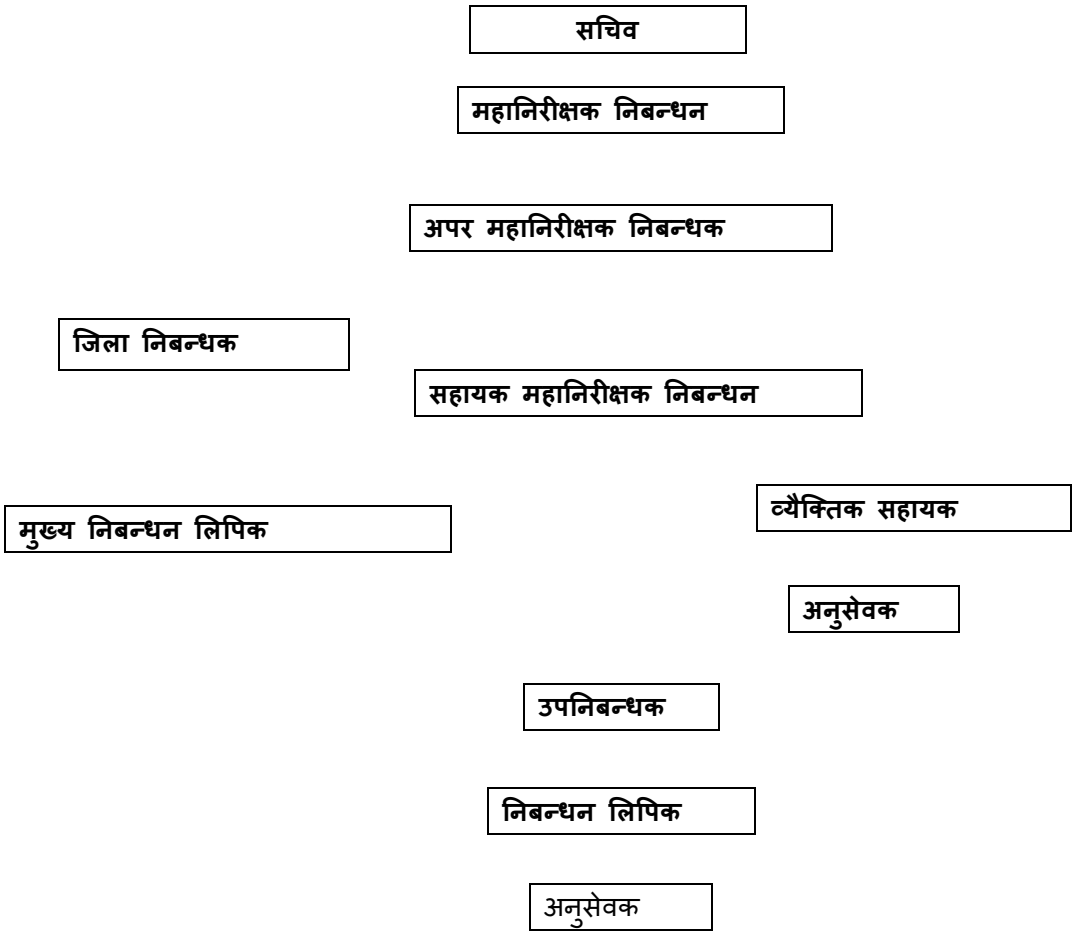


**(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** उपनिबन्धक – द्वितीय, हल्द्वानी, को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक - द्वितीय, हल्द्वानी, (नैनीताल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

**राजस्वः** माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

**व्ययः** माह ---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-II(अ)**

**प्रस्तर सं॰ 1 : स्टाम्प शुल्क के कमी से राजस्व की हानि ₹ 5,73,932/-**

जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में वाणिज्यिक भूखण्डों / सम्पत्तियों के दिनांक 16.08.2016 से प्रभावी सर्किल दरों हेतु सामान्य निर्देशिका के क्रम संख्या (4) पर उल्लेखित है कि ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्याकंन किए जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्याकंन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्याकंन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की दो गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जाएगा।

(अ)कार्यालय उप निबंधक,हल्द्वानी-द्वितीय के 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच पाया कि बही -01, जिल्द संख्या 1414, क्रमांक 4713 दिनांक 12.10.2017 को पंजीकृत विलेख में सामान्य निर्देशिका के क्रम संख्या (4) के अनुसार मूल्याकंन नहीं किया गया था । संपत्ति का मूल्याकंन निम्नवत किया जाना था :

निर्मित भवन का मूल्याकंन : = ₹ 13,82,806/-(61.76 वर्ग मीटर x ₹ 22390.50 प्रति वर्ग मी)आधार दर ₹ 19470 पर 15% बृद्धि के उपरांत)

खुली भूमि का मूल्याकंन : = ₹ 1,16,51,326/-( 1876.22 वर्ग मीटर x ₹ 2700 x 2 x 15%)

बाउंड्री वाल का मूल्याकंन : 139.93 मीटर x ₹ 1000= ₹ 1,40,000/-

कैनोपी का मूल्याकंन : ₹ 45,68,000 /-

संपत्ति का कुल मूल्याकंन :₹ 1,77,42,132/-(1382806+11651326+140000 +4568000)

देय स्टाम्प शुल्क @ 5% : ₹ 8,87,106/-

भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क : ₹ 6,25,000/-

अत: कम वसूल किया गया स्टाम्प शुल्क : **₹ 2,62,106/-**

(ब)बही -01, जिल्द संख्या 1301, क्रमांक1416 दिनांक 10.04.2017 को पंजीकृत विलेख में भी सामान्य निर्देशिका के क्रम संख्या (4) के अनुसार मूल्याकंन नहीं किया गया पाया। संपत्ति का मूल्याकंन निम्नवत कर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था:

**<u>खुली भूमि का मूल्याकंन</u>** : ₹ 7,55,136/-(68.40 वर्ग मीटर x ₹ 4800 x2x15%)

**<u>निर्मित दुकान का मूल्याकंन</u>** := ₹11,28,000/- (33.45 वर्ग मीटर x ₹ 33672 (आधार दर ₹ 29280 पर 15% बृद्धि के उपरांत)

संपत्ति का कुल मूल्याकंन : ₹ 18,83,136/-

देय स्टाम्प शुल्क @ 5% : ₹ 94,156/-say ₹ 94160/-

भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क : ₹ 68,000/-

अत: कम वसूल किया गया स्टाम्प शुल्क : **₹ 26,160/-**

(स) बही - 01, जिल्द संख्या 1343, क्रमांक 2694 दिनांक 19.06.2017 को पंजीकृत विलेख में भी सामान्य निर्देशिका के क्रम संख्या (4) के अनुसार मूल्याकंन नहीं किया गया पाया। संपत्ति का मूल्याकंन निम्नवत कर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था:

भूमि का कुल क्षेत्रफल =1527.88 वर्ग मी

खुली भूमि का मूल्यांकन = ₹-1,27,90,727 /- (1463.47वर्गमी x 8740)

(आधार दर 3800x 2=7600 मे 15% की वृद्धि के पश्चात 8740 ₹ /वर्ग मी )

निर्मित वाणिज्यिक भवन का क्षेत्रफल मूल्याकंन : ₹-15,32,000/-(64.41 वर्ग मीटर x ₹ 23782/-आधार दर ₹ 20680/-पर 15% बृद्धि के उपरांत)

मशीन की अनुमानित अधिकतम मूल्यांकन =₹-3,00,000/-

केनोपी का मूल्यांकन = ₹-7,43,600/-

बाउंड्री वाल का मूल्याकंन : ₹37,000/-(36.58 मीटर x ₹ 1000)

संपत्ति का कुल मूल्याकंन : ₹1,54,03,327/-( ₹ 1,27,90,727 +₹ 3,00,000 +₹ 7,43,600 +₹ 15,32,000+₹ 37,000)

देय स्टाम्प शुल्क @ 5% : ₹7,70,666/-

भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क : ₹4,84,500/-

कम वसूल किया गया स्टाम्प शुल्क : ₹2,85,666/-

इसप्रकार , कम वसूल किया गया स्टाम्प शुल्क : **₹2,85,666/-**

अतएव ,दर अनुसूची की सामान्य निर्देशिका के अनुसार व्यावसायिक भूमि का मूल्याकंन न किए जाने से **₹5,73,932/-** के स्टाम्प शुल्क राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने(अ) एवं (ब) में लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गयी आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि विलेख को परीक्षण एवं पुर्नमूल्याकंन हेतु कलेक्टर को संदर्भित किया जाएगा। तथा (स) के में संबंध इकाई द्वारा बताया गया कि क्लेक्टर द्वारा निर्धारित दर सूची के अनुसार व्यावसायिक दर आधार अकृषि दर के 1.1 दर पर हैं तदनुसार मूल्यांकन किया गया हैं |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योकि सामान्य निर्देशिका के क्रमांक संख्या (4) के अनुसार खुली भूमि के मूल्यांकन, अकृषि भूमि के मूल्य के दो गुना के अनुसार नहीं किया गया था,जिसके संबंध में इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया हैं,साथ ही साथ उपर्लिखित 'अ' एवं 'ब' समान प्रकरण हैं जिसे इकाई द्वारा स्वीकार किया गया हैं ,

अत कम स्टांप शुल्क **₹5,73,932/-** का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं

**भाग-II(ब)**

**प्रस्तर सं॰ 01 : निबंधन शुल्क अनारोपित रहना ₹ 1.25 लाख।**

भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 के परिशिष्ठ - 7 की टिप्पणी 1 में प्रावधान किया गया है कि किसी दस्तावेज़ के निबंधन के लिए फीस जिसमें सुभिन्न मामले समाविष्ट हों, ऐसे फीस योग्य होगी, जो प्रत्येक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उससे संबन्धित पृथक-2 दस्तावेज़ पर प्रभार्य होगी ।

(अ)कार्यालय उप निबंधक,हल्द्वानी - दिवतीय के 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच पाया कि बही - 01, जिल्द संख्या 1432, क्रमांक 5167 दिनांक 08.11.2017 के द्वारा पंजीकृतविलेख में संपत्ति में तीन क्रेताओं ने Union Bank Of India,Rudrapur द्वारा नीलामी की गयी भूमि को कुल बोली गयी संपत्ति मूल्य ₹ 63,50,000/- को तीनों क्रेताओं ने समान राशि ₹ 21,16,667 के अंश / हिस्से के क्रय पर TDS का भुगतान किया पाया। तीनों क्रेताओं के कोई पारिवारिक संबंध नहीं थे साथ ही तीनों का पता भी भिन्न-भिन्न पाये गए। अत: तीन सुभिन्न मामले समाविष्ट स्वीकारते हुए तीन निबंधन शुल्क आरोपित किए जाने थे, जिनकी गणना निम्नवत की जानी थी:

विक्रय पत्र : ₹ 63,50,000/-

प्रथम क्रेता का हिस्सा ₹ 21,16,000 पर निबंधन शुल्क @2% (अधिकतम ₹ 25,000/-) = ₹ 25,000/-

दूसरे क्रेता का हिस्सा ₹ 21,16,000 पर निबंधन शुल्क @2% (अधिकतम ₹ 25,000/-) = ₹ 25,000/-

तीसरे क्रेता का हिस्सा रु0 21,16,000 पर निबंधन शुल्क @2% (अधिकतम ₹ 25,000/-) = ₹ 25,000/-

कुल देय निबंधन शुल्क = ₹ 25,000/- + ₹ 25,000/-+ ₹ 25,000/- = ₹ 50,000/-

भुगतान किया गया निबंधन शुल्क = ₹ 25,000/-

शेष देय निबंधन शुल्क = **₹ 50,000/-**

(ब) कार्यालय उप निबंधक, हल्द्वानी - दिवतीय के 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच पाया कि बही - 01, जिल्द संख्या 1298, क्रमांक 1305 दिनांक 03.04.2017 के द्वारा पंजीकृत विलेख में विक्रय की जा रही संपत्ति में दो क्रेताओ का उल्लेख किया गया पाया। संपत्ति विक्रय मूल्य रु0 2,00,00,000/- का भुगतान विक्रेता को, दोनों क्रेताओं द्वारा समान राशि रु0 1,00,00,000/- का अंश / हिस्से में किया गया पाया। क्रेता ने प्रत्येक के अंश का TDS का भुगतान भी किया था अत: दोनों सुभिन्न मामले समाविष्ट स्वीकारते हुए दो निबंधन शुल्क आरोपित किए जाने थे, जिनकी गणना निम्नवत की जानी थी:

विक्रय पत्र : ₹ 2,00,00,000/-

प्रथम विक्रेता का हिस्सा ₹ 1,00,00,000/- पर निबंधन शुल्क @2% (अधिकतम ₹ 25,000/-) = ₹ 25,000/-

दूसरे विक्रेता का हिस्सा ₹ 1,00,00,000/- पर निबंधन शुल्क @2% (अधिकतम ₹25,000/- ) = ₹ 25,000/-

कुल देय निबंधन शुल्क = ₹ 25,000 + ₹ 25,000/- = ₹ 50,000/-

भुगतान किया गया निबंधन शुल्क = ₹ 25,000/-

शेष देय निबंधन शुल्क = **₹ 25,000/-**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने (अ) के संबंध में उत्तर दिया कि प्रश्नगत विलेख विक्रय प्रमाण पत्र जिसमे नीलामी कर्ता यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने संयुक्त व अविभाजित रूप से तीनों पक्षकारों के पक्ष में निर्गत किया गया है चूंकि संपत्ति एवं प्रतिफल की देयता संयुक्त रूप में है, इसीलिए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की अदायगी की गयी है। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योकि क्रेताओ द्वारा विक्रेता को अपने अपने हिस्से का टी0डी0एस0 भुगतान किया गया हैं,एवं उनका आपस मे कोई पारिवारिक संबंध नहीं हैं, तथा विलेख मे संयुक्त रूप से क्रय किए जाने का उल्लेख नहीं हैं, इसलिए कम निबंधन शुल्क देय होगा |तथा (ब) के संबंध मे निबंधन शुल्क वसूली हेतु पक्षकार को नोटिस जारी किया जाएगा |

अत: निबंधन शुल्क ₹ **75,000/-**अनारोपित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं |

(स) कार्यालय उप निबंधक,हल्द्वानी - दिवतीय के 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच पाया कि बही - 01, जिल्द संख्या 1363, क्रमांक 3219 दिनांक 18.07.2017 के द्वारा पंजीकृतविलेख में एक व्यावसायिक संपत्ति विक्रय मूल्य ₹ 68,00,000/-विक्रेताओं द्वारा समान राशि ₹ 22,66,666/- प्रत्येक विक्रेता को क्रेता ने उनके अंश / हिस्से का भुगतान किया पाया। क्रेता ने प्रत्येक के अंश का TDS का भुगतान भी किया था अत: तीन सुभिन्न मामले समाविष्ट स्वीकारते हुए तीन निबंधन शुल्क आरोपित किए जाने थे, जिनकी गणना निम्नवत की जानी थी:

विक्रय पत्र : ₹ 68,00,000/-

प्रथम विक्रेता का हिस्सा ₹ 22,66,666 पर निबंधन शुल्क @2% (अधिकतम ₹ 25,000/-) = ₹ 25,000/-

दूसरे विक्रेता का हिस्सा ₹ 22,66,666 पर निबंधन शुल्क @2% (अधिकतम ₹ 25,000/-) = ₹ 25,000/-

तीसरे विक्रेता का हिस्सा ₹ 22,66,666 पर निबंधन शुल्क @2% (अधिकतम ₹ 25,000/-) = ₹ 25,000/-

कुल देय निबंधन शुल्क = ₹ 25,000/- + ₹ 25,000/+ ₹ 25,000/- = ₹ 75,000/-

भुगतान किया गया निबंधन शुल्क = ₹ 25,000/-

शेष देय निबंधन शुल्क = ₹ 50,000/-

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि प्रश्नगत विलेख में विक्रेतागण माँ व बेटे हैं जिनको उत्तराधिकार रूप में अविभाजित रूप में संपत्ति प्राप्त हुई है, जिसको संयुक्त रूप से संयुक्त एवं अविभाजित रूप में ही दिवतीय पक्ष को अंतरित किया है अत: नियमानुसार स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की अदायगी की गयी है।

इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि माँ व बेटों ने अलग-अलग विक्रय राशि स्वीकार्य की थी एवं अपने-अपने हिस्से का आयकर विक्रय प्रतिफल के रूप में स्वीकार्य की इसलिए संपत्ति संयुक्त एवं अविभाजित रूप एक नहीं मान्य थी अत: तीन सुभिन्न मामले होने से तीनों पर अलग-अलग निबंधन शुल्क देय था।

अत: निबंधन शुल्क **₹ 50,000/-** अनारोपित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं |

**भाग-II(ब)**

**प्रस्तर सं०02 : स्टाम्प शुल्क राजस्व की हानि ₹ 4,02,140/-**

जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में वाणिज्यिक भूखण्डों / सम्पत्तियों के दिनांक 16.08.2016 से प्रभावी सर्किल दरों हेतु सामान्य निर्देशिका के क्रम संख्या (4) पर उल्लेखित है कि ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्याकंन किए जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्याकंन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्याकंन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की दो गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जाएगा।

कार्यालय उप निबंधक,हल्द्वानी - दिवतीय के 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच पाया कि बही -01, जिल्द संख्या 1445, क्रमांक 5560 दिनांक 28.11.2017 को पंजीकृत विलेखमें पाया कि एक दान-नामा की जा रही एक संपत्ति में कुछ क्षेत्र में एक पक्का स्टोर, कुछ क्षेत्र में टीनपोश और शेष भूमि में खुली भूमि थी। विलेख में संपत्ति को आवासीय एवं कृषि दर्शाया गया था, जबकि स्टोर का मूल्याकंन व्यावसायिक दर पर किया गया था परंतु 2794.23 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में टीनपोश व खुली भूमि का मूल्याकंन आवसीय दर पर किया गया पाया जो सामान्य निर्देशिका के क्रम संख्या (4) के अनुसार वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्याकंन किए जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो, के मूल्याकंन संबंधी निर्देशों के अनुरूप नहीं था । संपत्ति का मूल्याकंन निम्नवत किया जाना था :

**<u>स्टोर का मूल्याकंन (विलेखानुसार-व्यावसायिक दर पर)</u>** :

206.04 वर्ग मीटर x रु0 19470 = ₹ 40,12,000/-

**<u>निर्मित टीनपोशका मूल्याकंन</u>** : 2794.23 वर्ग मीटर x ₹ 18570/-

**<u>टीनपोश का मूल्याकंन</u>** = ₹ 518,88,900/-

**<u>खुली भूमि का मूल्याकंन</u>** : 3593.96 वर्ग मीटर x ₹ 2200x 2

= ₹ 1,58,13,500/-

संपत्ति का कुल मूल्याकंन : ₹ 7,17,14,000/-

देय स्टाम्प शुल्क @1% : ₹ 7,17,140/-

भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क : ₹ 3,15,000/-

अत: कम वसूल किया गया स्टाम्प शुल्क : ₹ 4,02,140/-

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि प्रश्नगत विलेख में संपत्ति को आवासीय एवं कृषि उल्लेखित करते हुए मूल्याकंन पर उचित स्टाम्प अदायगी की गयी है। लेखापरीक्षा दल द्वारा संपत्ति के चित्र विक्रीत क्षेत्रफल आवासीय स्टोर की मूल्याकंन के आधार पर संपत्ति के व्यावसायिक प्रतीत होना अवगत कराया गया लेखापरीक्षा दल की आपत्ति से सहमत होते हुए प्रश्नगत विलेख को स्थल निरीक्षण एवं पुर्न मूल्याकंन हेतु संदर्भित किया जाएगा।

इकाई के उत्तर लेखापरीक्षा अभिमत की पुष्टि करता था।

इसप्रकार, दर अनुसूची की सामान्य निर्देशिका के अनुसार व्यावसायिक भूमि का मूल्याकंन न किए जाने से ₹ 4,02,140/- के स्टाम्प शुल्क राजस्व की हानि हुई।

## भाग-III

## राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रारम्भ की स्थिति | | निस्तारण | | अवशेष | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अ | ब | अ | ब | अ | ब |
| 28/2012-13 | - | I STAN | - | - | - | I STAN |
| 22/2016-17 | निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया है। | | | | | |
| 35/2017-18 | | 1 | - | - | - | 1 |

## विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | **शून्य** | | |
| | | | |

## भाग-IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

**(1)** राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

**(2)** व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबन्धक - द्वितीय हल्द्वानी, (नैनीताल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम | तिथि |
|---|---|---|---|
| (i) | श्री महेश धर द्वेदी | उप निबन्धक | 16.09.15 से 03.01.18 तक |
| (ii) | श्री ललित मोहन सिंह रावत | उप निबन्धक | 04.01.18 से 08.03.18 तक |
| (iii) | श्री अतुल कुमार शर्मा | उप निबन्धक | 09.03.18 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप निबन्धक - द्वितीय हल्द्वानी, (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
**राजस्व क्षेत्र**